रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1958] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 22, 2013/श्रावण 31, 1935
No. 1958] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 22, 2013/ SHRAVANA 31, 1935

IndianCode

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अगस्त, 2013

का.आ. 2557(अ).—केन्द्रीय सरकार ने भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 19(अ) तारीख 6 जनवरी, 2011 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) द्वारा कतिपय तटीय क्षेत्रों को तटीय द्वीप क्षेत्र के रूप में घोषित किया था और उक्त क्षेत्र में उद्योगों के विस्तार, उद्योग स्थापित करने और उनके प्रचालन और प्रंसस्करण पर निर्बंधन अधिरोपित किए गए थे;

और उक्त अधिसूचना के पैरा 5 के खंड (vi) के अनुसार तटीय राज्यों और संघ राज्यों को उक्त अधिसूचना के जारी होने की तारीख से चौबीस मास की अवधि के भीतर प्रारूप सीजैडएमपी तैयार करना है;

और तटीय क्षेत्र प्रबंध योजनाओं (सीजैडएमपी) की तैयारी की स्थिति का आवधिक रूप से पुनर्विलोकन राष्ट्रीय तटीय क्षेत्र प्रबंध प्राधिकरण द्वारा किया गया है और यह नोट किया गया है कि सीजैडएमपी की तैयारी प्रगति पर है और राज्यों और संघ राज्य-क्षेत्रों को अनुमोदन के लिए प्रारूप सीजैडएमपी प्रस्तुत करने में और समय लग सकता है;

और पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 का उप-नियम (4) यह उपबंध करता है कि उप-नियम (3) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जब केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में ऐसा करना समीचीन है यह पूर्वोक्त नियमों के उप-नियम (5) के खंड (क) के अधीन सूचना देने की अपेक्षा से अभिमुक्ति दे सकेगी;

और, केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोकहित में उक्त अधिसूचना का संशोधन करने के लिए पर्यावरण (संरक्षण) नियमों के नियम 5 के उपनियम (5) के खंड (क) के अधीन सूचना देने की अपेक्षा से अभिमुक्ति दी जानी चाहिए;

अतः अब केन्द्रीय सरकार पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) और उप-नियम (4) के खंड (घ) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिसूचना में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, पैरा 5 में—

(क) मद (viii) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(viii) राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र सीजैडएमए, पणधारियों से प्राप्त सुझावों और आक्षेपों को शामिल करते हुए पर्यावरण और वन मंत्रालय को सीजैडएमपी पर अपनी सिफारिशों सहित प्रारूप सीजैडएमपी 30 सितंबर, 2013 को या उससे पूर्व सौंपेंगे;";

(ख) मद (xii) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(xii) पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा पूर्व अनुमोदित सीजैडएमपी का उपयोग 31 जनवरी, 2014 तक किया जाएगा ।"

[सं.11-83/2005-आईए.III]

मनिन्दर सिंह, संयुक्त सचिव

टिप्पण :(1) मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग **II**, खंड 3, उप-खंड (ii) में का. आ. सं. 19 (अ), तारीख 6 जनवरी, 2011 द्वारा प्रकाशित की गई थी

(2) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रारूप सीजैडएमपी पर्यावरण और वन मंत्रालय को प्रस्तुत करने के लिए दी गई समय सीमा 4 जुलाई, 2013 तक वैध थी और पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा अनुमोदित सीजैडएमपी 5 जनवरी, 2013 तक वैध थे । सीजैडएमपी की वैधता को भूतलक्षी प्रभाव देने से किसी व्यक्ति जिसको यह नियम लागू होंगे पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd August, 2013

S.O. 2557(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests number S.O.19 (E), dated the 6th January, 2011 (hereinafter referred to as the said notification), the Central Government declared certain coastal stretches as Coastal Regulation Zone (CRZ) and restrictions were imposed on the setting up and expansion of industries, operations and processes in the said Zone;

And whereas as per clause (vi) of paragraph 5 of the said notification, the coastal States and Union territories have to prepare draft CZMPs within a period of twenty four months from the date of issuance of the same;

And whereas the status of preparation of the Coastal Zone Management Plans (CZMPs) have been periodically reviewed by the National Coastal Zone Management Authority and noted that the preparation of CZMPs are in progress and it may take further time for the States and Union territories to submit the draft CZMPs for approval;

And whereas sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 provides that notwithstanding anything contained in sub-rule (3), wherever it appears to the Central Government that it is in public interest to do so, it may dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule 5 of the aforesaid rules;

And whereas the Central Government is of the opinion that it is in public interest to dispense with the said requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the aforesaid rules for amending the said notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with clause (d) of sub-rule (3) and sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following amendments in the said notification, namely :—

In the said notification, in paragraph 5 :—

(a) for item (viii), the following item shall be substituted, namely :—

"(viii) The State Government or Union Territory CZMA shall submit the draft CZMPs to MoEF along with its recommendations on the CZMP on or before the 30th September, 2013, after incorporating the suggestions and objections received from the stakeholders;";

(b) for item (xii), the following item shall be substituted, namely :—

"(xii) The CZMPs already approved by the MoEF shall be used till 31st January, 2014."

[No. 11-83/2005-IA.III]

MANINDER SINGH, Jt. Secy.

IndiaCode

Note: (1) The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 19(E), dated the 6th January, 2011.

(2) The period of time limit granted to the State Governments/Union territory to submit the draft CZMPs to MoEF was valid till 4th July, 2013 and the CZMPs approved by the Ministry of Environment and Forests were valid till 5th January, 2013. It is certified that extending the time limit to submit the draft CZMPs and also extending the validity of the CZMPs with retrospective effect shall not prejudicially effect the interest of any person to whom such notification may be applicable.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.